



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 19 अगस्त, 2023 ई० (श्रावण 28, 1945 शक संवत्)

भाग 3

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

खण्ड-घ-जिला पंचायत

कार्यालय, जिला पंचायत, शाहजहांपुर

22 जुलाई, 2023 ई०

सं० 1498-9/इक्कीस-19 (2021-22)-उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) की धारा 239(1) एवं धारा 239(2) के साथ पठित अधिनियम की धारा 143 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर के जिला पंचायत शाहजहांपुर ने ग्राम्य क्षेत्र, जो कि उक्त अधिनियम की धारा 2(10) में परिभाषित है, में इस क्षेत्र में स्थापित किसी विकास प्राधिकरण एवं उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा 2(डी) में घोषित औद्योगिक विकास क्षेत्र को हटाते हुए शेष ग्राम्य क्षेत्र के अन्तर्गत खाद्य पदार्थ, वस्त्र, लेखन सामग्री तथा अन्य जीवनोपयोगी वस्तुओं के विनियमन सम्बन्धी उपविधि बनायी गयी है, जिसका अनुमोदन आयुक्त महोदय बरेली मण्डल, बरेली द्वारा कर दिया गया है। यह उपविधि उत्तर प्रदेश सरकार के गजट में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होगी।

1-संक्षिप्त शीर्ष नाम-यह उपविधि खाद्य पदार्थ, वस्त्र, लेखन सामग्री तथा अन्य जीवनोपयोगी वस्तुओं के विनियमन सम्बन्धी उपविधि कहलायेगी।

2-प्रसार क्षेत्र-यह उपविधि जनपद शाहजहांपुर के समस्त ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावी रहेगी।

3-प्रारम्भ-यह उपविधि जनपद शाहजहांपुर के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में उ०प्र० सरकार के गजट में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होगी।

स्पष्टीकरण

1-ग्रामीण क्षेत्र-ग्रामीण क्षेत्र से तात्पर्य शाहजहांपुर जिले के समस्त नगरपालिका क्षेत्र, टाउन एरिया, नोटिफाइड एरिया तथा छावनी क्षेत्र को छोड़कर शेष क्षेत्र से है।

2-लाइसेंस अधिकारी-लाइसेंस अधिकारी का तात्पर्य अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत शाहजहांपुर अथवा उनके द्वारा अधिकृत कार्य अधिकारी या अन्य जिला पंचायत, शाहजहांपुर का कोई भी अधिकारी/कर्मचारी से है।

46 घ

प्रकाशित

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत
शाहजहांपुर

3—यह उपविधियां शाहजहांपुर जिले की सीमाओं के अन्तर्गत समस्त ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत आढ़ती, सरकारी समितियां, क्रय-विक्रय समितियां, थोक व फुटकर दुकानदार, व्यापारी, डीलर, अपना व्यवसाय तब तक नहीं कर सकेगा, जब तक वह जिला पंचायत, शाहजहांपुर से निर्धारित शुल्क जमा करके लाइसेंस प्राप्त न कर लें।

4—लाइसेंस की अवधि प्रति वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगी।

5—इन उपविधियों के अन्तर्गत जारी किये गये किसी भी लाइसेंस का नवीनीकरण माह अप्रैल में जमा कराया जाना अनिवार्य होगा। नवीनीकरण शुल्क, नवीन लाइसेंस के बराबर होगा।

6—नवीन लाइसेंस हेतु इच्छुक व्यक्ति लाइसेंस हेतु लिखित प्रार्थना-पत्र लाइसेंस अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

7—लाइसेंस अधिकारी, प्रार्थना-पत्र प्राप्ति के 20 दिन के अन्दर लाइसेंस निर्गत करेंगे अथवा कारण स्पष्ट करते हुए लाइसेंस का प्रार्थना-पत्र निरस्त कर सकते हैं।

8—इस उपविधि के अन्तर्गत लाइसेंस शुल्क निम्नवत होगा—

संशोधित प्रस्ताव/उपविधि

मिल/कारखाना/फैक्ट्री के उप विधियों की संशोधित दरों का विवरण


क्र० सं०	मद/व्यवसाय का नाम/कारखाने का नाम	पुरानी दर	संशोधित दर
1	2	3	4
		रु०	रु०
1	चीनी मिल	10,000.00	50,000.00
2	क्रेशर हाइड्रोलिक सल्फीटेशन	—	4,000.00
3	क्रेशर नान हाइड्रोलिक सल्फीटेशन	—	4,000.00
4	क्रेशर नॉन हाइड्रोलिक नॉन सल्फीटेशन	—	2,500.00
5	शक्ति चालित गन्ना पेरने का कोल्हू	500	400.00
6	शक्ति चालित केन्द्रापग (खाण्ड मशीन)	—	1,000.00
7	हस्त चालित केन्द्रापग (खाण्ड मशीन)	—	200.00
8	उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग कर रहा क्रिस्टीलाइजर	—	300.00
9	धान कूटने का मिल (राइस सेलर)	1,000.00	2,500.00
10	एक्स्पेलर	250.00	500.00
11	आरा मशीन	1,000.00	2,000.00
12	खराद मशीन	—	1,000.00
13	पावर लूम (प्रत्येक)	—	1,000.00
14	रेशम व कपड़ा बनाने का कारखाना	—	4,000.00
15	सरिया बनाने का कारखाना	2,000.00	15,000.00
16	लोहा बनाने का कारखाना (प्रति भट्टी)	2,000.00	5,000.00
17	बर्फ बनाने का कारखाना (200 सिल्ली तक)	—	2,000.00
18	बर्फ बनाने का कारखाना (उपरोक्त से अधिक)	1,000.00	4,000.00
19	गत्ता बनाने का कारखाना (बड़ा)	—	7,000.00
20	पेपर कोन बनाने का कारखाना	—	4,000.00
21	पेपर रोल बनाने का कारखाना	—	8,000.00
22	कागज बनाने का कारखाना (10 टन क्षमता तक)	—	10,000.00
23	कागज बनाने का कारखाना (10 टन से अधिक 20 टन क्षमता तक)	—	15,000.00

पुनर्गठित

बपर मुद्रित आदेशकार
जिला पंचायत
शाहजहांपुर


1	2	3	4
		रु०	रु०
24	कागज बनाने का कारखाना (20 टन से अधिक 30 टन क्षमता तक)	—	30,000.00
25	कागज बनाने का कारखाना (30 टन क्षमता से अधिक)	—	50,000.00
26	दूध का पाउडर या दूध से अन्य पदार्थ बनाने का कारखाना	—	10,000.00
27	चिलिंग प्लांट	—	8,000.00
28	स्टील आयरन आदि से पाइप बनाने का कारखाना (दो" मोटाई तक)	—	25,000.00
29	स्टील आयरन आदि से पाइप बनाने का अधिक कारखाना (दो" मोटाई से अधिक)	—	50,000.00
30	मशीन या यन्त्र बनाने का कारखाना	—	7,000.00
31	फल, सब्जियां एवं खाद्य पदार्थ सुरक्षित रखने का कारखाना (कोल्ड स्टोरेज 50 हजार बैग तक)	1,000.00	10,000.00
32	फल, सब्जियां एवं खाद्य पदार्थ सुरक्षित रखने का कारखाना (कोल्ड स्टोरेज 50 हजार बैग से अधिक)	—	15,000.00
33	पिक्चर ट्यूब बनाने का कारखाना	—	5,000.00
34	हाटमिक्स प्लांट	—	10,000.00
35	रबड़ की वस्तुएं बनाने का कारखाना	—	2,000.00
36	चीनी मिट्टी के बर्तन या टाइल्स बनाने का छोटा कारखाना	—	2,000.00
37	चीनी मिट्टी के बर्तन या टाइल्स बनाने का बड़ा कारखाना	—	7,000.00
38	मसाले की ईट आदि बनाने का कारखाना (सिरेमिक्स)	—	8,000.00
39	पीतल, एल्यूमिनियम, स्टील, शीशा, तांबा व टीन आदि से वस्तुएं बनाना	—	4,000.00
40	वनस्पति/देशी घी या रिफाइन्ड आयल बनाने का कारखाना	—	15,000.00
41	शराब, स्प्रिट या एल्कोहल बनाने का कारखाना	—	50,000.00
42	कृषि सम्बन्धी यन्त्र बनाने का कारखाना	—	4,000.00
43	फर्टिलाइजर या कीटनाशक दवाई बनाने का कारखाना	—	10,000.00
44	खाण्डसारी उद्योग के यन्त्र बनाने का कारखाना	—	5,000.00
45	प्लास्टिक का दाना फिल्म या बैग बनाने का कारखाना	—	4,000.00
46	प्लास्टिक का पाइप, टैंक बनाने का कारखाना	—	7,000.00
47	बिजली का सामान बनाने का कारखाना	—	4,000.00
48	कपड़ा, कम्बल आदि की रंगाई/छपाई या फिनीशिंग का कारखाना (छोटा)	—	2,000.00
49	कपड़ा, कम्बल आदि की रंगाई/छपाई या फिनीशिंग का कारखाना (बड़ा)	—	8,000.00

प्रमाणित


 उपर मुख्य अधिकारी
 जिला सचिव
 भादवापुर

1	2	3	4
		रु०	रु०
50	सीमेन्ट बनाने का कारखाना	—	10,000.00
51	फ्लोर मिल	1,000.00	10,000.00
52	दाल मिल	5,000.00	5,000.00
53	रिईनफोर्ड, सीमेन्ट, कंक्रीट आदि के ह्यूम पाईप बनाने का कारखाना	—	10,000.00
54	टेलीविजन बनाने का कारखाना	—	10,000.00
55	माचिस बनाने का कारखाना	—	10,000.00
56	बटन बनाने का कारखाना	—	6,000.00
57	मोमबत्ती बनाने का कारखाना	—	3,000.00
58	विनियर एण्ड शॉ मिल	—	7,000.00
59	पेय पदार्थ बनाने का कारखाना/फैक्ट्री	—	50,000.00
60	मिनरल वाटर बनाने का कारखाना	—	15,000.00
61	साफिट बनाने का कारखाना	—	5,000.00
62	प्लाईवुड का माईका बनाने का कारखाना	—	10,000.00
63	दवाई बनाने का कारखाना	—	7,000.00
64	गत्ते के डिब्बे बनाने का कारखाना	—	3,000.00
65	लैमिनेशन का कारखाना	—	5,000.00
66	दूध पैकेजिंग का कारखाना	—	6,000.00
67	केमिकल बनाने का कारखाना	—	8,000.00
68	डबल रोटी या बिस्कुट बनाने का कारखाना	—	5,000.00
69	गैस आदि बनाने का कारखाना	—	5,000.00
70	गैस के सिलेण्डर बनाने का कारखाना	—	8,000.00
71	वेल्लिंग रॉड्स बनाने का कारखाना	—	6,000.00
72	पीतल की राड्स बनाने का कारखाना	—	6,000.00
73	ढलाई करने का कारखाना	—	6,000.00
74	स्टील आलमारी बक्से, मेज आदि का कारखाना	—	6,000.00
75	पशु आहार बनाने का कारखाना	—	5,000.00
76	धागा बनाने का कारखाना	—	4,000.00
77	धागा डबलिंग का कारखाना	—	7,000.00
78	दरी, कालीन आदि बनाने का कारखाना	—	7,000.00
79	साबुन बनाने का कारखाना	—	2,000.00
80	डिटर्जेंट बनाने का कारखाना	—	7,000.00
81	पट्टा बनाने का कारखाना	—	3,000.00
82	कमानी पट्टा बनाने का कारखाना	—	7,000.00
83	रबड़ के टायर-ट्यूब बनाने का कारखाना	—	15,000.00
84	टायर रिट्रेडिंग	—	4,000.00
85	त्रिपाल बनाने का कारखाना	—	10,000.00

प्रमाणित


 अधिकारी
 शिक्षा विभाग
 शाहजहाँपुर

1	2	3	4
		रु०	रु०
86	आतिशबाजी सम्बन्धी सामान बनाने का कारखाना	—	10,000.00
87	ग्रीस, मोबिल आयल, काला तेल आदि बनाने का कारखाना	—	5,000.00
88	चार पहिया बनाने का कारखाना	—	1,00,000.00
89	दो पहिया बनाने का कारखाना	—	50,000.00
90	तार बनाने का कारखाना	—	15,000.00
91	तार की जाली बनाने का कारखाना	—	3,500.00
92	लालटेन बनाने का कारखाना	—	3,000.00
93	रेगमाल बनाने का कारखाना	—	4,000.00
94	बैट्री बनाने का कारखाना	—	5,000.00
95	पंखा या कूलर बनाने का कारखाना	—	5,000.00
96	रंग बनाने का कारखाना	—	5,000.00
97	गम, टेप बनाने का कारखाना	—	4,000.00
98	आटो पार्ट्स बनाने का कारखाना	—	5,000.00
99	निकिल पालिश (प्लेटिंग) करने का कारखाना	—	5,000.00
100	रांगा बनाने का कारखाना	—	5,000.00
101	गैस चूल्हा या उसके पार्ट्स बनाने का कारखाना	—	5,000.00
102	हड्डी मिल	—	25,000.00
103	सरेश मिल	—	5,000.00
104	पेट्रोल मिल	—	4,000.00
105	डीजल मिल	—	5,000.00
106	गैस बाटलिंग प्लांट	—	25,000.00
107	सादा या काला नमक बनाने का कारखाना	—	2,000.00
108	प्रिंटिंग प्रेस या ऑफसेट प्रेस	—	2,500.00
109	सिनेमा हाल	—	4,000.00
110	विडियो सिनेमा हाल	—	2,500.00
111	मुर्गा/मुर्गी दाना का कारखाना/फैक्ट्री	—	3,000.00
112	पेट्रोल पम्प का टैंक बनाने का कारखाना	—	10,000.00
113	रेडीमेड गारमेन्ट्स का कारखाना	—	15,000.00
114	फोम के गद्दे बनाने का कारखाना	—	15,000.00
115	स्लाटर हाउस/ इण्टीग्रेटेड फूड प्रोसेसिंग प्लांट	—	1,00,000.00
116	ट्रान्सफारमर फैक्ट्री	—	20,000.00
117	स्टील के बर्तन बनाने का कारखाना	—	15,000.00
118	एयर कन्डीशनर बनाने का कारखाना	—	10,000.00
119	जूट, सन व नायलान का कारखाना	—	5,000.00
120	शीशा बनाने का कारखाना	—	3,000.00
121	पिपरमिण्ट बनाने का कारखाना	—	2,000.00

प्रमाणित

५५
 जे.
 बर मुख्याधिकारी
 किला इंचायत
 शाहजहापुर

1	2	3	4
		रु०	रु०
122	चमड़ा टेनरी का कारखाना	—	25,000.00
123	जैविक कारखाना	—	5,000.00
124	फिक्स चिमनी ईट भट्ठा 20 पाये तक	6,025.00	10,000.00
125	फिक्स चिमनी ईट भट्ठा 20 पाये से अधिक	—	15,000.00
126	स्टोन क्रेसर	—	15,000.00

उपरोक्त के अतिरिक्त उद्योगो को निम्न श्रेणी में विभक्त करते हुए अधिकतम लाइसेन्स फीस सम्मुख अंकित धनराशि के अन्तर्गत निर्धारित की जा सकती है—

क्र०सं०	मद/व्यवसाय का नाम/कारखाने का नाम	प्रस्तावित लाइसेन्स शुल्क
1	2	3
		रुपये
1	सूक्ष्म/कुटीर उद्योग (Micro) (लागत 25 लाख)	1,000.00 से 5,000.00 तक
2	लघु उद्योग (small) (लागत 25 लाख से 5 करोड़)	6,000.00 से 20,000.00 तक
3	मध्यम उद्योग (Medium) (लागत 5 करोड से 10 करोड़)	21,000.00 से 50,000.00 तक
4	भारी उद्योग (Heavy) (लागत 10 करोड़ से अधिक)	51,000.00 से 1,00,000.00 तक

उपरोक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत शाहजहांपुर में इन व्यवसायों पर लाइसेंस शुल्क संशोधित किया जाना है -

क्र० सं०	मद/व्यवसाय का नाम/कारखाने का नाम	पुरानी दर	संशोधित दर
1	2	3	4
		रु०	रु०
1	मुर्गा फार्म	—	1,000.00
2	दूध डेयरी (10 भैंस से अधिक)	—	1,500.00
3	दूध डेयरी (20 भैंस से अधिक)	—	3,000.00
4	टेन्ट हाउस व लाईट	—	1,000.00
5	सी०एन०जी० सर्विस पम्प	—	2,000.00
6	अलमारी बनाने का कारखाना	—	1,500.00
7	डोई के गुल्ले बनाने की मशीन	—	5,000.00
8	बकरा, मुर्गा, मछली, मीट की दुकान	—	1,000.00
9	ट्रैक्टर चलित पालेसर व आटा चक्की	—	1,000.00
10	ऑन लाईन सेल स्टोर	—	5,000.00
11	सब्जी व फल आदि की दुकान	—	500.00
12	चार पहिया वाहन से फेरी बिक्री	—	500.00
13	जूते चप्पल की दुकान	—	500.00
14	चूड़ी सेन्टर	—	500.00
15	वस्त्र/रेडीमेड की दुकान	—	500.00
16	डीजल/पेट्रोल पम्प (प्रति नोजिल)	—	1,000.00
17	ट्रैक्टर/ट्राली/कम्बाईन आदि का वर्कशाप	—	5,000.00
18	बिसातखाना/ जनरल स्टोर	—	500.00
19	नर्सिंग होम	—	5,000.00
20	सैलून/ब्यूटी पार्लर	—	500.00

प्रमाणित

५

बपर मुख्य अधिकारी

जिला पंचायत

शाहजहांपुर

1	2	3	4
		रु०	रु०
21	लकड़ी की टाल	—	500.00
22	रबड़ का टायर तेल निकालने का कारखाना	—	5,000.00
23	बीज सोधक (कारखाना)	—	5,000.00
24	सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान	—	500.00
25	सभी विभागों के पंजीकृत ठेकेदार	—	5,000.00
26	शराब की दुकान देशी/अंग्रेजी/बीयर	—	5,000.00
27	किराना की दुकान	500.00	1,000.00
28	धर्म काँटा	2,000.00	3,000.00
29	राईस मिल	4,000.00	13,000.00
30	गैस एजेन्सी	5,000.00	8,000.00
31	मोटर साइकिल/स्कूटी एजेन्सी	—	6,000.00
32	जनसेवा केन्द्र	—	500.00
33	इलेक्ट्रानिक सामान की दुकान बड़ी	150.00	1,000.00
34	सराफा	500.00	1,000.00
35	ग्रामीण बाजार	3,000.00	4,000.00
36	पशु बाजार	5,000.00	6,000.00
37	इन्टरलॉकिंग प्लांट	2,500.00	5,000.00
38	कवाडी स्टोर	—	2,000.00
39	साइकिल की दुकान	300.00	500.00
40	मोटर सा० मैकेनिक	—	500.00
41	स्पेयर पार्ट्स की दुकान	500.00	1,000.00
42	डॉक्टर एवं मेडिकल स्टोर	500.00	1000.00
43	टायर ट्यूब की दुकान	—	1000.00
44	बिल्डिंग मैटेरियल	500.00	1,000.00
45	हार्डवेयर के दुकान	500.00	1,000.00
46	बर्तन की दुकान पीतल	300.00	1,000.00
47	मिट्टाई की दुकान	150.00	500.00
48	लोहे की दुकान, बक्सा, कूलर आदि	500.00	500.00
49	कपडा सिलाई की दुकान	100.00	500.00
50	मोबाईलो के सर्विस सेन्टर	150.00	1,000.00
51	गल्ला आढत	500.00	1,000.00
52	खाद की दुकान	500.00	1,000.00
53	कीटनाशक दवाई	500.00	500.00
54	बीज भण्डार	500.00	1,000.00
55	फर्नीचर की दुकान	—	1000.00
56	क्राकरी की दुकान	500.00	2000.00
57	मेडिकल एजेन्सी	15,000	50,000.00
58	पावर प्लांट	—	1,00,000.00
59	थर्मल पावर प्लांट	15,000	1,00,000.00
60	खाद कारखाना	—	10,000.00
61	नमकीन फैक्ट्री	—	20,000.00
62	कोल्ड ड्रीक फैक्ट्री	—	—

प्रशासित

जि. प्र.
 बिहार मुख्य शासक
 जिला सहायक
 गद्दहवापुर

1	2	3	4
		रु०	रु०
63	किसान बाजार	—	500.00
64	चाउमीन बनाने की फैक्ट्री	—	1,000.00
65	बैट्री बनाने का कारखाना	—	2,000.00
66	पेपर शेल बनाने का कारखाना	—	2,000.00
67	कपडा सिलाई का कारखाना	—	2,000.00
68	मूंगफली कारखाना (दराना)	—	3,000.00
69	गिरवी गाठ व मरम्मत	300.00	500.00
70	प्लास्टिक की बोरी बनाने का कारखाना	—	10,000.00
71	जिंक एवं कीटनाशक दवा बनाने का कारखाना	—	25,000.00
72	मटर एजेन्सी (हरी)	—	5,000.00
73	पेपर छपाई का कारखाना	—	2,000.00
74	कापी बनाने का कारखाना	—	2,000.00
75	जूते चप्पल बनाने का कारखाना	—	2,000.00
76	सीमेन्ट के खम्बे बनाने का कारखाना	—	5,000.00
77	मूंगफली दरने का छोटा कारखाना	—	1,000.00
78	टोल प्लाजा	—	10,000.00
79	नल बोरिंग करने की मशीन	—	1,000.00
80	समरसेबिल बोरिंग बड़ी एवं छोटी	—	5,000.00
81	स्टेशनरी की दुकान	150.00	500.00
82	प्लास्टिक पाइप का स्टोर (गोदाम)	—	3,000.00

उपरोक्त प्रस्तुत वितरण में किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने हेतु जनपद के जिला उद्योग विभाग से अपर मुख्य अधिकारी/कार्य अधिकारी/कर अधिकारी द्वारा सम्पर्क किया जा सकता है, जिससे प्रत्येक जनपद में लाइसेंस की दरों में एकरूपता बनी रहे।

उक्त उपविधि में विलम्ब शुल्क व दण्ड का प्राविधान पूर्व में लागू उपविधि के अनुसार यथावत रहेगा।


ह० (अस्पष्ट),
आयुक्त,
बरेली मण्डल, बरेली।

मानक उपविधि (STANDARD BYE-LAWS)

22 जुलाई, 2023 ई०

सं० 1496-9/इक्कीस-18 (2021-22)—उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) की धारा-239(1) एवं धारा-239(2) के साथ पठित अधिनियम की धारा-143 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके जिला पंचायत शाहजहांपुर ने ग्राम्य क्षेत्र, जो कि उक्त अधिनियम की धारा-2(10) में परिभाषित है, में इस क्षेत्र में स्थापित किसी विकास प्राधिकरण एवं उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा-2(डी) में घोषित औद्योगिक विकास क्षेत्र को हटाते हुए शेष ग्राम्य क्षेत्र के अर्न्तगत बनने वाले सभी प्रकार के भवनों के मानचित्रों एवं निर्माण को नियंत्रित एवं विनियमित करने के उद्देश्य से निम्न उपविधियां बनायी है—

1—अधिनियम का तात्पर्य उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 से है।


अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत
शाहजहांपुर